न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–177 सन् 2002

विध्या देवी ....वादिनी।

बनाम

परकालो देवी वगैरह...............................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 14.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 16.11.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 24(क) शैलेन्द्र कुमार सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी मंजू कुमारी एवं दो पुत्र आनंद मोहन भारती एवं अमीत कुमार को छोड़कर हो गई है तथा प्रतिवादी सं0 25 झरोखा की देवी की मृत्यु कलकता में हो गई है जो अपने कानूनी वारिसान एक पुत्र उमेश सिंह तथा दो पुत्री सोना देवी वो निलम देवी को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 24(क) एवं प्रतिवादी सं0 25 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 24(क) शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं प्रतिवादी सं0 25 झरोखा देवी का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 24(क) शैलेन्द्र कुमार सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी मंजू कुमारी एवं दो पुत्र आनंद मोहन भारती एवं अमीत कुमार को छोड़कर हो गई है तथा प्रतिवादी सं0 25

झरोखा की देवी की मृत्यु कलकता में हो गई है जो अपने कानूनी वारिसान एक पुत्र उमेश सिंह तथा दो पुत्री सोना देवी वो निलम देवी को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 16.11.2022 को 1000/–खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक....................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।